छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393 Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक सीजीएमसी/शिकायत/ 573/2022 रायपुर दिनांकः– 04 /07/2022

//आदेश//

उपरोक्तानुसार लेख है कि होपवेल हॉस्पीटल, मेन रोड कटोरा तालाब रायपुर छ.ग. के द्वारा राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत पॉच माह के अंतराल में 275 स्पाइनल केनाल स्टीनोसीस के प्रकरणो की शल्यक्रिया की गई थी। जिसमें स्पाईन सर्जरी के 228 प्रकरणो के संबंध में राज्य नोडल एजेंसी रायपुर को एम.आर.आई. फिल्मस एवं एम. आर.आई रिपोटर्स की कॉपी प्रेषित किया गया था।

राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के एम.आर.आई. फिल्मस एवं एम.आर.आई. रिपोटर्स की कॉपी को विषय विशेषज्ञो द्वारा परीक्षण कराया गया। परीक्षण उपरांत प्राप्त जॉच में पाया गया कि स्पाईन सर्जरी के कुल 88 ऐसे प्रकरणों जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नही होना स्पष्ट (31 प्रकरण) पाया है। एवं ऐसे प्रकरण जिनमें सर्जरी की आवश्यकता संदेहास्पद (57 प्रकरण) है, उक्त प्रकरणो की भुगतान राशि निरस्त कर दी गई थी।

राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा दिनांक 11.12..2019 (इस कार्यालय को पत्र प्राप्त दिनांक 26.02.2019) में संबंधित चिकित्सको पर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण को छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में हस्तातंरित किया गया था।

1. कौंसिल के द्वारा पुनः जॉच कराये जाने पर पाया गया कि मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सको के द्वारा नही देखा गया है।
2. मरीजो को Non Specific कारणों से भर्ती किया गया एवं एम.आर.आई कराया गया।
3. एम.आर.आई. में मरीजो में Age related Changes थे, जो भर्ती के समय के लक्षणों से मैच नही करते है।
4. अधिकतर मरीजो में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के अनुसार ऑपरेशन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

चिकित्सकीय शल्यक्रिया में अनियमितता पाये जाने, अकारण किये गये सर्जरी एवं कौंसिल के द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज मांगे जाने पर बार– बार गुमराह किये जाने पर सामान्य सभा के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **(नेशनल मेडिकल कमीशन/मेडिकल कौंसिल ऑफ इंण्डिया, नई दिल्ली के कोड ऑफ मेडिकल ऐथिक्स रेग्युलेशन 2002 की धारा 7.4 एवं 7.5)** के तहत् प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए, **डॉ. राजेश चन्द्रा,** एम.एस. जनरल सर्जरी, पता Dr. Rajesh Kumar Chandra, Champa Hospital, Near Bhalerai Stadium, Champa (C.G.) के छत्तीसगढ़ मेडिकल

Dr. Kailesh Gupta

क्रमशः............02

कौंसिल पंजीयन क्रमांक **(सीजीएमसी 2718/2009 दिनांक 11.11.2009)** को दिनांक **04.08.2022** से दिनांक **03.08.2023** तक एक वर्ष के लिए पंजीयन निलंबित किया जाता है। इस समयावधि में **डॉ. राजेश चन्द्रा,** कोई भी चिकित्सकीय कार्य नही कर सकेगे, यदि वह निलंबन की अवधि में चिकित्सकीय कार्य करते पाया जाता है तो नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली 110077 में तीस दिनो के भीतर अपील प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल को सूचित करे, सूचित न करने की स्थिति मे यह आदेश दिनांक **04.08.2022** से लागू माना जायेगा। डॉ. राजेश चन्द्रा, एम.एस. सर्जन को आदेशित किया जाता है कि निलंबन आदेश लागू होने पर छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र (सीजीएमसी क्रमांक 2718/2009 दिनांक 11.11.2009) को परिषद् के कार्यालय में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करे। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् की पंजी में डॉ. राजेश चन्द्रा के प्रविष्ट के स्थान पर निलंबन के विषय में अंकित किया जाता है।

(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(नीरज कुमार बनसोड) आई.ए.एस.
अध्यक्ष
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. ललित शाह)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. महेश सिन्हा)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. राकेश गुप्ता)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. अल्का गुप्ता)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. आशा जैन)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

(डॉ. यशवंत चन्द्रवंशी)
सदस्य
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

पृ.क्रमांक सीजीएमसी/शिकायत/ 574/2022 रायपुर दिनांकः– 04/07/2022
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट.14, सेक्टर–08,फेस 01 द्वाराका नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ.ग. शाासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, संचालनायल स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, तृतीय तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः.........03

6. समस्त स्टेट मेडिकल कौंसिल की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं यह आपको आदेशित किया जाता है कि इस दौरान निलंबन किये गये चिकित्सक आपके जिले में चिकित्सकीय कार्य करते पाये जाने पर तुरंत उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करावें।
8. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. सचिव इंडिया मेडिकल ऐशोसियेशन, दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
10. सचिव इंडिया मेडिकल ऐशोसियेशन, छत्तीसगढ़ एवं समस्त जिला की ओर सूचनार्थ।
11- डॉ. राजेश चन्द्रा, एम.एस. सर्जन., Dr. Rajesh Kumar Chandra, Champa Hospital, Near Bhalerai Stadium, Champa (C.G.) .की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. स्टाक फाईल।

(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर